



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 445) पटना, बुधवार 6 मई 2026

सं०—e-gov/PFMS-05/2023(खंड) 4186
वित्त विभाग

संकल्प
6 मई 2026

विषय:— कोषागार एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग) अंतर्गत साइबर कोषागार (Cyber Treasury) के गठन एवं इसके संचालन हेतु कुल 23 (तेईस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme) की राशि को सही समय पर (Just In Time) जारी करने हेतु एस एन ए-स्पर्श (SNA-SPARSH) प्रक्रिया को संबंधित विभागों के लिए लागू किया गया है।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के तहत एस एन ए-स्पर्श विपत्रों के लेखांकन हेतु एक पृथक कोषागार की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम साइबर कोषागार (Cyber Treasury) होगा, जो एस एन ए-स्पर्श प्रणाली के तहत राज्य के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा भेजे गये विपत्रों के केन्द्रीकृत लेखांकन का कार्य करेगा।

3. राज्य द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एस एन ए-स्पर्श प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन एवं एस एन ए-स्पर्श प्रणाली के तहत तैयार किये गये विपत्रों के पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से पारित करने, अनुश्रवण करने एवं केन्द्रीकृत लेखांकन हेतु कोषागार एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग) अंतर्गत साइबर कोषागार नाम से एक पृथक कोषागार का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव साइबर कोषागार हेतु 01 (एक) वरीय कोषागार पदाधिकारी (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा), 03 (तीन) सहायक कोषागार पदाधिकारी (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा), 01 (एक) प्रधान लिपिक, 05 (पाँच) उच्चवर्गीय लिपिक, 10 (दस) निम्नवर्गीय लिपिक एवं 03 (तीन) कार्यालय परिचारी के पद सृजन का निर्णय निम्नानुसार लिया गया है :—

क्र०सं०	पद का नाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	वरीय कोषागार पदाधिकारी (बि०वि०प्र०से०)	वेतन स्तर-11	01
2.	सहायक कोषागार पदाधिकारी (बि०वि०प्र०से०)	वेतन स्तर-09	03
3.	प्रधान लिपिक	वेतन स्तर-06	01
4.	उच्चवर्गीय लिपिक	वेतन स्तर-04	05
5.	निम्नवर्गीय लिपिक	वेतन स्तर-02	10
6.	कार्यालय परिचारी	वेतन स्तर-01	03
कुल-23			

5. वरीय कोषागार पदाधिकारी/सहायक कोषागार पदाधिकारी के पद पर वित्त विभागान्तर्गत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जायेगा। लिपिक एवं कार्यालय परिचारी के पद पर भी वित्त विभाग द्वारा पदस्थापन किया जायेगा। उक्त पदों पर सीधा नियंत्रण वित्त विभाग का होगा।

6. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय ₹147,93,024 /—(एक सौ सैतालीस लाख तिरानबे हजार चौबीस रुपये) मात्र होगी।

7. उक्त नवसृजित पदों के पदधारक का वेतन भुगतान, मांग सं०-12 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2054-खजाना स्थापना विपत्र कोड-12-2054000970001 द्वारा किया जायेगा।

8. अतः सम्यक् विचारोपरांत एस एन ए-स्पर्श से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु कोषागार एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग) अंतर्गत साइबर कोषागार (Cyber Treasury) के गठन एवं इसके संचालन हेतु कुल 23 (तेईस) पदों के सृजन हेतु दिनांक-29.04.2026 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>